



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 26 मार्च, 2025 / 05 चैत्र, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th March, 2025

No. HHC/Admn.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to

275—राजपत्र / 2025—26—03—2025

(14637)

declare Additional District and Sessions Judge-1, Kangra at Dharamshala, H.P. as Drawing and Disbursing Officer, in respect of the Court of Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala, H.P. and also the Controlling Officer for the purpose of salary T.A. etc. in respect of establishment attached to the aforesaid Court during the earned leave period of Smt. Jyotsna SumantDadhwal, Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala *w.e.f.* 10-03-2025 to 15-03-2025 with permission to affix Sundays falling on 09-03-2025 and 16-03-2025 respectively.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th March, 2025

No. HHC/GAZ/14-240/99-II.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave *w.e.f.* 10-03-2025 to 15-03-2025 with permission to affix Sundays falling on 09-03-2025 and 16-03-2025, respectively in favour of Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal, Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Jyotsna Sumant Dadhwal would have continued to hold the post of Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-

Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th March, 2025

No. HHC/Estt.3(409)/95-I.—06 days commuted leave *w.e.f.* 24-02-2025 to 01-03-2025 with permission to suffix Sunday on 02-03-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Padam Dev Sharma, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Padam Dev Sharma has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Padam Dev Sharma would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 10th March, 2025

No. HHC/ Estt.3(700)/2009.—03 days commuted leave *w.e.f.* 27-02-2025 to 01-03-2025 with permission to suffix Sunday on 02-03-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Yugal Kishore, Court Master of this Registry.

Certified that Shri Yugal Kishore has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Yugal Kishore would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th March, 2025

No. HHC/23-1/3/80-III.—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, and all other powers enabling him in this behalf, Hon'ble the Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh is pleased to make the following amendments to the High Court of Himachal Pradesh (Supply of Liveries to Court Servants) Rules, 1983.

Brief Description	No. of Rule	Particulars of Rules
Short Title:	1	These Rules shall be called ' High Court of Himachal Pradesh (Supply of Liveries to Court Servants) 14th Amendment Rules 2024 '.
Commencement:	2	These Rules shall come into force with immediate effect.

3	<p>The third paragraph of Rule-6, shall be substituted with:—</p> <p>“Besides this, the Class IV and Drivers shall be paid fixed cash payments as per entitlement <i>qua</i> the livery articles (does not include cloth material) as per Schedule-I and Schedule-II respectively, which shall be enhanced by 20% after every three years.”</p> <p>3(i) After the amendment Rule-6 shall be read as under:—</p> <p>"In order to encourage the co-operative and industrial concerns in Himachal Pradesh and Khadi and Village Industry Board, the cloth material will be obtained only from sources aforementioned by the Registrar by placing direct indents on the Controller of Stores, Himachal Pradesh:</p> <p>Provided, if the cloth material is not available with the said authority the Registrar may, after obtaining "Non Availability Certificate" from the Controller of Stores, purchase the material from the open market after inviting tenders and with the prior approval of the Hon'ble Chief Justice.</p> <p>(ii) Besides this, the Class-IV and Drivers shall be paid fixed cash payments as per entitlement <i>qua</i> the livery articles (does not include cloth material) as per Schedule-I and Schedule-II respectively, which shall be enhanced by 20% after every three years".</p> <p>Schedule-II shall be inserted in the Rules as under:—</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">SCHEDULE-II (Drivers)</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">Sl.No.</th> <th style="text-align: center;">Articles</th> <th style="text-align: center;">Rates(in Rs.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Shoes (every year)</td> <td style="text-align: center;">2000/-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.</td> <td>Umbrella (after three years)</td> <td style="text-align: center;">1000/-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3.</td> <td>Cap (Bushahri) (every year)</td> <td style="text-align: center;">500/-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4.</td> <td>Socks (Nylon) (every year)</td> <td style="text-align: center;">500/-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5.</td> <td>Woollen jersey (every year)</td> <td style="text-align: center;">1500/-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6.</td> <td>Blanket (after three year)</td> <td style="text-align: center;">1500/-</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7.</td> <td>Tie (every year)</td> <td style="text-align: center;">300/-</td> </tr> </tbody> </table>	SCHEDULE-II (Drivers)			Sl.No.	Articles	Rates(in Rs.)	1.	Shoes (every year)	2000/-	2.	Umbrella (after three years)	1000/-	3.	Cap (Bushahri) (every year)	500/-	4.	Socks (Nylon) (every year)	500/-	5.	Woollen jersey (every year)	1500/-	6.	Blanket (after three year)	1500/-	7.	Tie (every year)	300/-
SCHEDULE-II (Drivers)																												
Sl.No.	Articles	Rates(in Rs.)																										
1.	Shoes (every year)	2000/-																										
2.	Umbrella (after three years)	1000/-																										
3.	Cap (Bushahri) (every year)	500/-																										
4.	Socks (Nylon) (every year)	500/-																										
5.	Woollen jersey (every year)	1500/-																										
6.	Blanket (after three year)	1500/-																										
7.	Tie (every year)	300/-																										

By order
Hon'ble the Chief Justice.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 12th March, 2025

No. HHC/GAZ/14-361/2015.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days' earned leave *w.e.f* 10-03-2025 to 15-03-2025 with permission to affix Sundays falling on

09-03-2025 & 16-03-2025, respectively in favour of Smt. Sonal Sharma, Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Solan, H.P.

Certified that Smt. Sonal Sharma is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave

Also certified that Smt. Sonal Sharma would have continued to hold the post of Sr. Civil Judge-cum-ACJM-I, Solan, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA- 171 001

NOTIFICATION

Shimla, the 11th March, 2025

No. HHC/Admn. 6(15)74-X.—Part Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him U/S 139(b) of the Code of Civil Procedure 1908 Section 333(1)(b) of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules 2007, has been pleased to appoint S/Sh. Rajat Sharma (HIM/264/2016) and Rahul (HIM/194/2015) Advocates as Oath Commissioners at Kasauli, District Solan for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
Registrar(Administration).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अखिलेश राणा सुपुत्र श्री चन्द्र कुमार राणा, निवासी गांव कालूगंज, डाकघर बकलोह, उप-तहसील ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराये नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसका नाम अखिलेश राणा है, जोकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट व ग्राम पंचायत ककीरा कम्बा के नकल परिवार रजिस्टर में सही दर्ज है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल भरमाला में गलती से अबिलेश राणा दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इशतहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के नाम दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 16-04-2025 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिये जाएंगे।

आज दिनांक 13-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
ककीरा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 10/2025

तारीख रजुआ : 15-03-2025

Smt. Sangia Mani d/o Late Shri Yang Sukh, r/o Village & P.O. Roghi Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम रोधी
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रोधी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत रोधी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Sangia Mani d/o Late Shri Yang Sukh ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Sangia Mani का जन्म 10-03-1965 को गांव रोधी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत रोधी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत रोधी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत रोधी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव रोधी की आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Sangia Mani d/o Late Shri Yang Sukh का जन्म 10-03-1965 को रोधी गांव में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत रोधी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-04-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 11/2025

तारीख रजुआ : 10-03-2025

Meena Kumari w/o Shri Pradeep Kumar, r/o V.P.O. & Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम कल्या
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्या, तहसील कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्या के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Meena Kumari w/o Shri Pradeep Kumar ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर एवं उप-मण्डल दण्डाधिकारी कल्या स्थित रिकांगपिओ, जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Meena Kumari का जन्म 11-11-1984 को गांव कल्या में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्या के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्या के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः आम जनता ग्राम पंचायत कल्या, तहसील कल्या, जिला किन्नौर व गांव कल्या की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Meena Kumari w/o Shri Pradeep Kumar का जन्म 11-11-1984 को कल्या गांव में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्या के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-04-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 12/2025

तारीख रजुआ : 10-03-2025

Smt. Roshni Devi d/o Late Sh. Gursewak, r/o Village Telangi, P.O. Khawangi, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम तेलंगी
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत तेलंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Smt. Roshni Devi d/o Late Sh. Gursewak ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Roshni Devi का जन्म 01-07-1962 को गांव तेलंगी में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थिया ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत तेलंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत तेलंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहती है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

अतः ग्राम पंचायत तेलंगी, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव तेलंगी की आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि Smt. Roshni Devi d/o Late Sh. Gursewak का जन्म 01-07-1962 को तेलंगी गांव में हुआ है का पंजीकरण ग्राम पंचायत तेलंगी के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 15-04-2025 या इससे पूर्व अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थिया के जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के लोकल रजिस्ट्रार/पंचायत सचिव को अनुपालना हेतु आदेश भेज दिये जायेंगे।

आज दिनांक 15-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 49 / 2024

तारीख रजुआ : 18-11-2024

Prabhu Kant s/o Sh. Shyam Lal, r/o Village & P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम कल्पा
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Prabhu Kant s/o Sh. Shyam Lal ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला

रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Prabhu Kant का जन्म 12-12-1986 को गांव कल्पा में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। किन्तु तहसील कार्यालय कल्पा के लिपि संबंधी त्रुटि से प्रार्थी की जन्म तिथि 12-12-1986 की जगह 19-04-1987 लिखी गई। जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 04 मार्च, 2025 को पृष्ठ संख्या 13725 में किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कल्पा की आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Prabhu Kant s/o Sh. Shyam Lal का जन्म 19-04-1987 के स्थान पर 12-12-1986 समझा जाये।

आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 50/2024

तारीख रजुआ : 18-11-2024

Labhu Kant s/o Sh. Shyam Lal, r/o Village & P.O. Kalpa, Tehsil Kalpa, District Kinnaur (H.P.).

बनाम

1. आम जनता ग्राम कल्पा
2. लोकल रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)

विषय.—प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाये जाने बारे अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण करने बारे।

हर खास व आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Labhu Kant s/o Sh. Shyam Lal ने अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में एक आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र बजरिया जिला रजिस्ट्रार (मुख्य चिकित्सा अधिकारी) जिला किन्नौर के माध्यम से प्रस्तुत किया है कि Labhu Kant का जन्म 05-07-1989 को गांव कल्पा में हुआ है तथा अज्ञानतावश प्रार्थी ने उसका पंजीकरण ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करवाया है, अब प्रार्थी अपनी जन्म तिथि ग्राम पंचायत कल्पा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है, इस बारे आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। किन्तु तहसील कार्यालय कल्पा के लिपि संबंधी त्रुटि से प्रार्थी की जन्म तिथि 05-07-1989 की जगह 19-04-1987 लिखी गई। जिसका प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 04 मार्च, 2025 को पृष्ठ संख्या 13725 व 13726 में किया गया है।

अतः ग्राम पंचायत कल्पा, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर व गांव कल्पा की आम जनता को बजरिया इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि Labhu Kant s/o Sh. Shyam Lal का जन्म 19-04-1987 के स्थान पर 05-07-1989 समझा जाये।

आज दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कल्या, जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

**Before the District Registrar (Marriages)-cum-Additional Deputy Commissioner Kullu,
District Kullu (H.P.)**

1. Sachin Mahant s/o Late Sh. Nishkram, r/o House No. 118, Ward No. 1, Near KVS Ramshilla, Tehsil Kullu, District Kullu, H.P.

2. Sangeeta Beas d/o Shri Hari Ram, r/o VPO Burua, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(3) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Sachin Mahant s/o Late Sh. Nishkram, r/o House No. 118, Ward No. 1, Near KVS Ramshilla, District Kullu, H.P. & Sangeeta Beas d/o Shri Hari Ram, r/o VPO Burua, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have filed an application along with the affidavits in the office of undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 11-10-2024, but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, Municipal Council Kullu in Tehsil Kullu, District Kullu, H.P.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued under my hand and seal of the court today on 17th March, 2025.

Seal.

Sd/-
(ASHWANI KUMAR),
District Registrar (Marriages)-cum-ADC
Kullu, District Kullu (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 6/2025

आगामी पेशी : 16-04-2025

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव तांदी, डाकघर धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री मनी राम, निवासी गांव तांदी, डाकघर धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि 27-05-2008 है, जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी पुत्री की जन्म तिथि 27-05-2008 दर्ज करवाना चाहता है, प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री की जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 16-04-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, तहसील सैंज में उक्त प्रार्थी की पुत्री यमुना देवी की जन्म तिथि 27-05-2008 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 17-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 5/2025

आगामी पेशी : 09-04-2025

श्री कांशी राम पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव खराटला, डाकघर शलवाड़, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री कांशी राम पुत्र श्री चेत राम, निवासी गांव खराटला, डाकघर शलवाड़, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 15-01-1968 है, जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत कनौन के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि 15-01-1968 दर्ज करवाना चाहता है, प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कनौन के जन्म परिवार रजिस्टर भाग-I में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 09-04-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार

किया जाकर ग्राम पंचायत कनौन, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की जन्म तिथि 15-01-1968 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 15-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं० : /2025

आगामी पेशी : 10-04-2025

श्री सुख देव पुत्र तारा चन्द पुत्र हीरा चन्द, निवासी गांव सेरी, डाकघर धाउगी, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.— राजस्व अभिलेख में नाम दुरुस्ती बारे।

श्री सुख देव पुत्र तारा चन्द पुत्र हीरा चन्द, निवासी गांव सेरी, डाकघर धाउगी, तहसील सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन-पत्र पेश किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख मोहाल धाउगी, पटवार वृत्त कनौन में सुदर्शन कुमार दर्ज है, जोकि गलत दर्ज हुआ है। जबकि अन्य दस्तावेजों में उसका नाम सुख देव पुत्र ताराचन्द दर्ज है, जोकि सही है। प्रार्थी ने ब्यान हल्फिया दिया है कि सुदर्शन कुमार व सुख देव दोनों नाम उसके ही हैं। प्रार्थी राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कनौन के मोहाल धाउगी में अपना नाम सुदर्शन कुमार के बजाए सुदर्शन कुमार उर्फ सुख देव दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसका नाम दर्ज करने के सम्बन्धित क्षेत्रीय कानूनगो/पटवारी को लिखित आदेश पारित करने की कृपा की है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कनौन के मोहाल धाउगी में दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 10-04-2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना उजर पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाकर राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कनौन के मोहाल धाउगी, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी का नाम सुदर्शन कुमार उर्फ सुख देव पुत्र तारा चन्द पुत्र हीराचन्द दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 12-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सैन्ज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक :

श्री देस राज पुत्र श्री कुन्दन लाल, निवासी गांव कांगर, डाकघर चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री देस राज पुत्र श्री कुन्दन लाल, निवासी गांव कांगर, डाकघर चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 26-03-1990 को निवासी गांव कांगर, डाकघर चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत चाम्बी तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चाम्बी, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2025 को मुकर्रर तारीख पर बरवक्त 10.00 बजे सुबह असागतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 17-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

शीर्षक:

श्री मस्त राम पुत्र श्री दुर्गा राम, निवासी गांव छज्जवार, डाकघर मलोह, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना-पत्र ग्राम पंचायत भनवार, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री मस्त राम पुत्र श्री दुर्गा राम, निवासी गांव छज्जवार, डाकघर मलोह, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 ने इस न्यायालय में आवेदन-पत्र मय शपथ-पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-

Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 19-12-2010 को निवासी गांव छज्जवार, डाकघर मलोह, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत भनवार, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत भनवार, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2025 को मुकर्रर तारीख पर बरवक्त 10.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 17-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 05/13B/2024

तारीख दायर : 27-06-2024

कुमारी गुंजन सुपुत्री स्वर्गीय श्री चैन राम, निवासी गांव चिकसा, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (नाम दुरुस्ती)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त कुमारी गुंजन सुपुत्री स्वर्गीय श्री चैन राम, निवासी गांव चिकसा, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया के पिता का नाम मुताबिक आधार कार्ड, पहचान पत्र, पंचायत रिकार्ड में चैन राम पुत्र सवीरु दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है परन्तु माल कागजात चक चिकसा के कागजात माल में वादी का नाम मैंन राम दर्शाया गया है जो सही नहीं है। वादी महाल चिकसा के कागजात माल में अपना नाम मैंन राम के स्थान पर चैन राम पुत्र सवीरु दुरुस्त व दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का नाम माल कागजात में दुरुस्त दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05-04-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादिया के पिता का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तकलेच, उप-तहसील तकलेच,
जिला शिमला (हि0प्र0)

नं0 मुकद्दमा : 05/13B/2024

तारीख दायर : 27-06-2024

श्रीमती शारदा पत्नी श्री शिशु पाल, निवासी गांव कुहल, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

दरखास्त (ग्राम पंचायत में जन्म दर्ज करवाने बारे में)।

नोटिस बनाम आम जनता।

यह दरखास्त श्रीमती शारदा पत्नी श्री शिशु पाल, निवासी गांव कुहल, डाकघर देवठी, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0) ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि वादिया के पुत्र का जन्म दिनांक 25-05-2012 को घर पर हुआ है। जिस बारे वादी ने जन्म तिथि शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त वादी का ग्राम पंचायत में जन्म दर्ज करवाने बारे में कोई आपत्ति हो तो दिनांक 05-04-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार वादी का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित किये जाएंगे।

आज दिनांक 05-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तकलेच, उप-तहसील तकलेच, जिला शिमला (हि0प्र0)।

**In the Court of Dr. Poonam, HPAS, Marriage Officer-cum-Sub Divisional Magistrate,
Solan, Tehsil & District Solan (H.P.)**

NOTICE UNDER SECTION 16 OF SPECIAL MARRIAGE ACT

Whereas, Mr. Naved Ruksar son of Mr. Abdul Salam Mir, resident of Kohli Niwas Tank Road, Ward No. 9, Solan, Tehsil and District Solan (H.P.) and Mrs. Gulnaj wife of Mr. Naved

Ruksar and daughter of Mohmmad Akhtar, resident of Jama Masjid, Mall Road, Ward No. 6, Tehsil and District Solan (H.P.) have filed an application for the registration of their marriage which was solemnized on 10-12-2023 and they have been living as husband and wife ever since then.

And whereas, both applicants have submitted in their application and in their affidavits that Mr. Naved Ruksar and Mrs. Gulnaj were unmarried at the time of solemnization of their marriage and were major in age and having no prohibited relations to each other, debarring them to marry each other. Both the applicants have requested for registration of their marriage.

Notices have been served to all concerned and General Public to this effect and if anybody has got any objection regarding the registration of marriage duly solemnized between the above parties *i.e.* Mr. Naved Ruksar and Mrs. Gulnaj they may file their written objections and appear personally or through their authorized agents before me within a period of thirty days from the date of issuances of this notice. After expiry of the said period, the marriage certificate would be issued to the applicants by this court, post which no objection will be heard or accepted.

Issued under my hand and seal on this 13th day of March, 2025.

Seal.

Sd/-
(Dr. POONAM, HPAS),
Marriage Officer-cum-
Sub-Divisional Magistrate,
Solan, District Solan (H. P.).

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 04/CNT/BT/2025 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 27-03-2025

वादी जोगेश पुत्र वालकिशन, निवासी महाल तमलेट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र वादी जोगेश पुत्र वालकिशन, निवासी महाल तमलेट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुश्री मुनादी" चस्पांगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती वादी जोगेश पुत्र वालकिशन, निवासी महाल तमलेट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल तमलेट में जोगेश दर्ज है जबकि उसका सही नाम "जोगेश शर्मा" है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके "जोगेश शर्मा" किया जाए।

अतः इस नोटिस "इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुश्री मुनादी" चस्पांगी" के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो तारीख पेशी 27-03-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या

वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 25-02-2025 को मेरे हस्ताक्षरत व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 03/CNT/BT/2025 किस्म मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती तारीख पेशी : 27-03-2025

वादी राजेश शर्मा पुत्र वाल किशन, निवासी महाल तमलेट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

नाम दुरुस्ती प्रार्थना-पत्र वादी राजेश शर्मा पुत्र वाल किशन, निवासी महाल तमलेट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुश्री मुनादी" चस्पांगी।

प्रार्थना-पत्र नाम दुरुस्ती वादी राजेश शर्मा पुत्र वाल किशन, निवासी महाल तमलेट, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख महाल तमलेट में राजेश कुमार दर्ज है जबकि उसका सही नाम "राजेश शर्मा" है, लिहाजा इसे दुरुस्त करके "राजेश शर्मा" किया जाए।

अतः इस नोटिस "इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश "मुश्री मुनादी" चस्पांगी" के माध्यम से आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि अगर किसी को उपरोक्त नाम दुरुस्ती बारे कोई उजर या एतराज हो तो तारीख पेशी 27-03-2025 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन अपना एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त नाम दुरुस्त करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 25-02-2025 को मेरे हस्ताक्षरत व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बंगाणा, जिला ऊना (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिसल नं0 : 07/NT/RKT

श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री श्री मंगत सिंह, निवासी गांव घघेर, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे नियम 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती संतोष कुमारी पुत्री श्री मंगत राम, निवासी गांव वतराहण, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया है कि मेरा जन्म दिनांक 16-04-1962 को गांव वतराहण, उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) में हुआ है जिससे मेरा परिवार अज्ञानतावश पंचायत रिकार्ड वतराहण में दर्ज न करवा सका था जिसे अब मैं ग्राम पंचायत वतराहण के रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 19-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे अदालत हजा में उपस्थित होकर अपना एतराज पेश कर सकता है तथा कोई एतराज पेश न होने की सूरत में जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत वतराहण के पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

दिनांक 18-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : तकसीम

मुकद्दमा नं0: 57/NT/2024

तारीख पेशी : 28-03-2025

गजल मिन्हास

बनाम

हरनाम सिंह आदि।

नोटिस बनाम.—1. हरनाम सिंह पुत्र कर्म सिंह पुत्र चौकस राम, 2. पवन कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र चौकस राम, 3. अंकुश कुमार पुत्र जोगिन्दर सिंह पुत्र चौकस राम, 4. श्रेष्ठा देवी पुत्री जोगिन्दर सिंह पुत्र चौकस राम, 5. सवित्री देवी पत्नी जोगिन्दर सिंह पुत्र चौकस राम, 6. रंगीला राम पुत्र दुनीया पुत्र खजाना, 7. मदन लाल पुत्र दुनीया पुत्र खजाना, 8. प्रकाशो पुत्र पंजू पुत्र पोसती, 9. बुधिया पुत्र पंजू पुत्र पोसती, 10. रोशनी देवी पुत्री पंजू पुत्र पोसती, 11. विमला देवी पुत्री पंजू पुत्र पोसती, 12. राजा राम पुत्र दिवाना पुत्र पोसती, 13. जैगोपाल पुत्र किशोरी लाल पुत्र दिवाना पुत्र पोसती, 14. रेखा देवी पुत्री किशोरी लाल पुत्र दिवाना पुत्र पोसती, 15. पिकी देवी पुत्री किशोरी लाल पुत्र दिवाना पुत्र पोसती, 16. रेमला देवी पुत्री किशोरी लाल पुत्र दिवाना पुत्र

पोसती, 17. सवित्री देवी पत्नी किशोरी लाल पुत्र दिवाना पुत्र पोसती, 18. लालमन पुत्र माधू पुत्र वदरी, 19. पतासो पुत्री खीर पुत्र हिरदा, निवासी महाल मथरेहड (लाहला), तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

अनुवान मुकद्दमा.—भूमि तकसीम खाता नं0 61, खतौनी नं0 109 ता 113, खसरा नं0/कित्ता 6, रकबा तादादी 00-44-24 हैक्टयर स्थित महाल मथरेहड, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) जमाबन्दी वर्ष 2020-21.

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रतिवादीगणों को कई बार समन किये गये परन्तु साधारण तरीके से तामील न हो रही है। अतः अब इश्तहार द्वारा प्रतिवादीगणों उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि इस केस बारे कोई भी एतराज पेश करना हो तो वह दिनांक 28-03-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर हाजिर की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 05-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील पालमपुर,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 25/NT/2025

तारीख पेशी : 10-04-2025

मुन्शी राम पुत्र तानी राम, निवासी गांव वन्दला खास, डाकघर नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र अधिनियम धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

मुन्शी राम पुत्र तानी राम, निवासी गांव वन्दला खास, डाकघर नछीर, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस कार्यालय में प्रार्थना—पत्र पेश किया है कि प्रार्थी के पिता की मृत्यु गांव वन्दला, डाकघर नछीर, तहसील पालमपुर में दिनांक 16-01-1981 को हुआ है, लेकिन सम्बन्धित ग्राम पंचायत नछीर के अभिलेख में दर्ज न है।

अतः अब इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई भी एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा तथा प्रार्थी के पिता तानी राम पुत्र लाला की मृत्यु पंजीकरण के आदेश ग्राम पंचायत नछीर को पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 18-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 26/तह/2025

किस्म : जन्म पंजीकरण

तारीख पेशी : 17-04-2025

सुनीता देवी पुत्री स्व0 श्री दिक्ती राम, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुश्त्री मुनादी व इश्तहार अखबारी बराये जन्म दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में सुनीता देवी पुत्री स्व0 श्री दिक्ती राम, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरी बहन कान्ता देवी पुत्री स्व0 श्री दिक्ती राम, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) का जन्म दिनांक 15-06-1984 को गांव व डाकघर हारसी, ग्राम पंचायत हारसी, तहसील जयसिंहपुर में हुआ है। इस सन्दर्भ में प्रार्थिया ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थिया व उसके परिवार के किसी सदस्य ने जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया न्यायालय के माध्यम से अपनी बहन के जन्म का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत हारसी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी व चस्पांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरी बहन कान्ता देवी पुत्री स्व0 श्री दिक्ती राम, गांव व डाकघर हारसी, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) की जन्म तिथि 15-06-1984 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-04-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत हारसी को जारी कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-03-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

श्री उत्तम सिंह पुत्र जसवन्त सिंह, निवासी गांव वनकडोली, डा0 लरहुं, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत वगडोली में जन्म पंजीकरण रजिस्टर करने बारे।

श्री उत्तम सिंह पुत्र जसवन्त सिंह, निवासी गांव वनकडोली, डा0 लरहुं, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने अदालत हजा में एक प्रार्थना—पत्र बाबत ग्राम पंचायत लरुहं के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत अपनी जन्म तिथि दर्ज करने बारे गुजारा है। प्रार्थी ने निवेदन किया है कि उनका जन्म 20-04-1979 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत लरुहं के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में जन्म तिथि नियमानुसार समय पर पंजीकृत नहीं करवाई गई है। इसलिए अब ग्राम पंचायत लरुहं को जन्म पंजीकरण करने के आदेश दिये जायें।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी की जन्म तिथि पंजीकरण करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 27-03-2025 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का जन्म पंजीकृत करने बारा आदेश पारित कर दिए जाएंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Swetima Sharma w/o Sh. Rupesh Sharma, r/o Flat No. A-3, Block-G, Bypass, Sugandha Apartment, Near Gurudwara, Ward No. 36, Saproon, Solan, Tehsil & District Solan (H.P.) declare that I have changed my name from Swetima Sharma to Bindu Sharma. Note the relevant.

SWETIMA SHARMA
w/o Sh. Rupesh Sharma,
r/o Flat No. A-3, Block-G, Bypass,
Sugandha Apartment, Near Gurudwara,
Ward No. 36, Saproon, Solan, Tehsil & District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Sunita Devi w/o Sh. Gopal Singh, r/o Village Bargyana, P.O. Gaighat, Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.) have changed my name from Sunita Devi to Kanouri Devi.

SUNITA DEVI
w/o Sh. Gopal Singh,
r/o Village Bargyana, P.O. Gaighat,
Tehsil Parwanoo, District Solan (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Jasmine Patyal w/o Sh. Arun Patyal, r/o Ward No. 11, House No. 60, Village Lahlari, P.O. Dugha, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) do hereby solemnly affirm and declare that my son Yatharth Singh Patial name has been wrongly recorded in Privar Register of Gram Panchayat Birta, Tehsil & District Hamirpur (H.P.) as Yatharth Singh. That Yatharth Singh Patial is his correct and actual name and same be corrected in Privar Register of Gram Panchayat and in his Aadhar Card.

JASMINE PATYAL
w/o Sh. Arun patyal,
r/o Ward No. 11, House No. 60,
Village Lahlari, P.O. Dugha,
Tehsil & District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kamla Devi Aukta w/o Late Sh. Mangat Ram Aukta age about 87 years, r/o Village Old Jubbal, P.O. & Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) declare that I have changed my name from Gianchandi (Previous Name) to Kamla Devi Aukta (New Name). All concerned please may note.

KAMLA DEVI AUKTA
w/o Late Sh. Mangat Ram Aukta,
r/o Village Old Jubbal,
P.O. & Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Chandri w/o Late Ashok Kumar *alias* Bhudi Singh, r/o V.P.O. Pharal, Tehsil Kumarsain, District Shimla (H.P.)-172 029 do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar Card my name is wrongly mentioned as Chandru Devi. Whereas correct name is Chandri as per panchayat record and other document. That the both names Chandri and Chandru Devi are my name which is true and correct.

CHANDRI
w/o Late Ashok Kumar *alias* Bhudi Singh,
r/o V.P.O. Pharal, Tehsil Kumarsain,
District Shimla (H.P.)-172 029.

CHANGE OF NAME

I, Siya Ram s/o Rai Singh, Village Bhatgarh, P.O. Pawan, Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Sahi Ram. Whereas my correct name is Siya Ram. All concerned please may note.

SIYA RAM
s/o Rai Singh,
Village Bhatgarh, P.O. Pawan,
Tehsil Nerwa, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Beena Devi w/o Ravinder Singh, r/o Village Khadar, P.O. Nakorapul, Tehsil Chaupal, District Shimla (H.P.) declare that in my Aadhar Card my name is wrongly entered as Nisha Devi. Whereas my correct name is Beena Devi. All concerned please may note.

BEENA DEVI
w/o Ravinder Singh,
r/o Village Khadar, P.O. Nakorapul,
Tehsil Chaupal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Parveen Kumar s/o Sh. Ram Dhan Singh, r/o Nanak Niwas, Lower Kaithu, Shimla (H.P.) declare that I have changed my daughter's name from Anniya Jhanjhotkar (previous name) to ANANYA (new name) all concerned please may note.

PARVEEN KUMAR
s/o Sh. Ram Dhan Singh,
r/o Nanak Niwas, Lower Kaithu,
Shimla (H.P.).

